#### <u>आपराधिक प्रकरण कमांक:-512/2013 1</u>

## न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्डम०प्र0

आपराधिक प्रकरण कमांक:-512/2013

<u>संस्थित दिनांक:-02 / 08 / 2013</u> फाई<u>लिंग नम्बर 230303009022013</u>

शासन द्वारा पुलिस आरक्षी केंद्र, एण्डौरी जिला-भिण्ड म0प्र0

अभियोजन

बनाम्

उदय सिंह पुत्र रणवीर सिंह गुर्जर उम्र-43साल व्यवसाय खेती निवासी ग्राम एन्हों पुलिस थाना एण्डौरी,जिला भिण्ड म0प्र0

आरोपी

Alan Alexandra and Alandra Ala (आरोप अंतर्गत धारा— 34 आबकारी अधिनियम) (राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार) (आरोपी द्वारा अधि० श्री ए०के०समाधिया )

// निर्णय //
// आज दिनांक 03/03/2017 को घोषित किया//
आरोपी पर दिनांक 27/03/14 को 18:40 बजे ग्राम चंद्रभान का पुरा थाना एण्डौरी मे वैध अनुज्ञप्ति के बिना 50 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा कीमत 3750 / – रूपये अपने आधिपत्य में रखने हेतु मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया हैं 📂

संक्षेप मे अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 27/03/14 को पुलिस 2. थाना एण्डौरी के ए०एस०आई गोविंददास प्रजापति को जरिये मुखबिर सूचना मिली थी कि एन्हों तरफ से चन्द्रभान सिंह के पुरा तरफ से एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब ले जा रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु वह मय फोर्स आरक्षक रामनिवास इरशादनवी,के साथ चंद्रभान सिंह के पुरा रोड पर पहुंचा था तो एन्हों की तरफ से एक व्यक्ति शराब की पेटियाँ प्लास्टिक की बोरी में रखकर ले जाते हुये दिखा था जिसे रोकना चाहा था तो वह पुलिस की गाडी को देखकर बोरी छोडकर भागने लगा था उसे देखा था तो वह उदय सिंह गुर्जर था। वह बोरी पटककर भागने लगा था जिसे रोककर पकडना चाहा था तो वह शराब पेटी छोडकर भाग गया था। मौके पर साक्षी लज्जाराम खटीक एवं केशव सिंह के सामने बोरी खोलकर देखा था तो एक पेटी में शराब के 50 क्वार्टर ब्लेकफोर्ड तथा 20 क्वार्टर मदिरा मसाला एवं एक पेटी में 15 बोतल बियर ब्लेकफोर्ड की रखी हुई मिली थी। आरोपी अवैध रूप से उक्त शराब बिक्री हेतु ले जा

रहा था। मौके पर ही उसने साक्षियों के समक्ष शराब जप्त कर जप्ती की कार्यवाही की थी। तत्पश्चात थाना वापिस आकर आरोपी के विरूद्ध अप०क०२४/13 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

- 3. उक्तानुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध विवरण निर्मित किया गया। आरोपी को अपराध की विशिष्टयाँ पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।
- 4. दं0प्र0सं0 की धारा 313 के अन्तर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है।

# इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है—

1.क्या आरोपी ने दिनांक 27/03/14 को लगभग 18:40 बजे ग्राम चंद्रभान के पुरा रोड पर थाना एण्डौरी में 50 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखी?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नो के संबंध मे अभियोजन की ओर से साक्षी केशव सिंह बघेल आ०सा०1,लज्जाराम आ०सा०2,आरक्षक रामनिवास आ०सा०3,शिवराज सिंह आ०सा०4,आबकारी उपनिरीक्षक सुदीप तोमर आ०सा०5 ,सेवानिवृत्त ए०एस०आई गोविंददास प्रजापित आ०सा०6 एवं से०िन०ए०एस०आई हरगोविंद सिंह आ०सा०7 को परीक्षित कराया गया है जबिक आरोपी की ओर से बचाव मे किसी भी साक्षी का परीक्षित नहीं कराया गया है।

# [ निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण ] विचारणीय प्रश्न क0-1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के सबंध में से०नि०ए०एस०आई गोविंददास प्रजापित आ०सा०६ जो कि जप्तीकर्ता है ने न्यायालय के समक्ष अपनेकथन में व्यक्त किया हैकि उसे दिनांक 27/03/13 को जिस्ये मुखिबर सूचना प्राप्त हुई थी कि एन्हों की तरफ से चंद्रभान के पुरा से एक व्यक्ति अवैध शराब लिये जा रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु वह फोर्स आरक्षक रामनिवास,आरक्षक इरशादनवी के साथ चंद्रभान सिंह के पुरा रोड पर पहुंचा था तभी एन्हों की तरफ से एक व्यक्ति प्लास्टिक की बोरी रखकर ले जाते हुये दिखा था जिसे रोकना चाहा था तो वह व्यक्ति पुलिस की गाडी को देखकर बोरी छोडकर भागने लगाथा उस व्यक्ति को देखा था तो वह उदय सिंह गुर्जर था उसे पकडना चाहा था तो वह शराब की पेटी को छोडकर भाग गया था। उसने साक्षी लज्जाराम खटीक एवं केशव सिंह के सामने बोरी खोलकर देखा था तो एक पेटी में 50 क्वार्टर प्लेन एवं 20 क्वार्टर मिदरा मसाला तथा दो पेटियों में 15 बोतल बियर ब्लेकफोर्ड की पाई गई थी। उसने उक्त समस्त शराब घटना स्थल पर जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी01 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात वह मय माल आरोपी को थाने लेकर आया था एवं उसने आरोपी के विरुद्ध प्र0पी06 की प्रथम सूचना रिपीट लेखबद्ध

की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया हैकि विवेचना के दौरान उसने साक्षी लज्जाराम,रामनिवास एवं केशव सिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। प्रतिपरीक्षण के पद क02 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह आरोपी को पहले से जानता था।

- 8. साक्षी आरक्षक रामनिवास आ०सा०3 द्वारा भी न्यायालय के समक्ष अपने कथन में जप्तीकर्ता गोविंददास प्रजापित आ०सा०6 के कथन का समर्थन किया गया है एवं घटना दिनांक को ए ०एस०आई प्रजापित के साथ जाने एवं आरोपी से शराब जप्त कर बाबत प्रकटीकरण किया गया हैं।
- 9. साक्षी केशव सिंह बघेल आ०सा०1 एवं लज्जाराम खटीक आ०सा०2 जिन्हें जप्ती की कार्यवाही का स्वतंत्र साक्षी बताया गया है ने न्यायालय के समक्ष अपने कथनमें अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया हैं कि पुलिस ने उनके सामने आरोपी से कोई शराब जप्त नहीं की थी। साक्षी लज्जाराम खटीक आ०सा०2 ने मात्र जप्ती पंचनामा प्र०पी०1 के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया हैं। उक्त दोनो ही साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूंछे जाने पर उक्त दोनो ही साक्षियों ने अभियोजनके इस सुझाव से इंकार किया हैकि घाटना दिनांक को पुलिस ने उनके सामने आरोपी से शराब जप्त की थी। साक्षी केशव सिंह आ०सा०1 ने प्र०पी०2 का पुलिस कथन एवं लज्जाराम खटीक आ०सा०2 ने प्र०पी०3 का पुलिस कथन भी पुलिस को न देना बताया हैं।
- 10. साक्षी शिवराज सिंह आ०सा०४ ने भी अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि वह आरोपी उदय सिंह को जानता है पुलिस ने उसके सामने आरोपी को गिरफतार नहीं किया था। गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी०४ के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूंछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया हैकि पुलिस ने उसके सामने आरोपी उदय सिंह को गिरफ्तार किया था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया हैकि गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी०४ के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- 11. आबकारी उपनिरीक्षक सुदीप तोमर आ०सा०५ ने जप्तशुदा मदिरा की जांच रिर्पोट प्र0पी०५ को प्रमाणित किया हैं एवं साक्षी हरगोविंद आ०सा०७ ने गिरफतारी पंचनामा प्र0पी०४ को प्रमाणित किया हैं।
- 12. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे है स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा

सकता है।

- 13. सर्वप्रथम न्यायालय को यह विचार करनाहै कि क्या प्रकरण में जप्तशुदा तरल पदार्थ मदिरा थी ? उक्त संबंध में आबकारी उपनिरीक्षक सुदीप तोमर आ0सा05 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया हैकि उसने दिनांक 03/04/13 को थाना एण्डौरी के सूरतराम भदौरिया द्वारा लाये जाने पर अप0क024/13 में जप्तशुदा तरल पदार्थ के तीन सेट की जांच की थी प्रथम सेट के ढक्कन पर एम.पी.एक्साईज तथा लेवल पर देशी प्लेन मदिरा दूसरे सेट पर एम.पी.एक्साईज एवं लेवल पर देशी मसाला मदिरा अंकित था तथा तीसरे सेट की बोतल पर सोम एवं लेवल पर ब्लेकफोर्ड स्टॉग बियर अंकित था। उसके द्वारा उक्त तीनो सेट की जांच की गई थी एवं जांच के दौरान उसने तीनों सेट में कमशः देशी प्लेन मदिरा,मसाला मदिरा एवं बियर होने की पुष्टि की थी उसकी जांच रिर्पोट प्र0पी05 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण के पद क03 में उक्त साक्षी द्वारा व्यक्त किया गया हैं कि उसने पढ़ाई नहीं की है परन्तु शराब जांच का प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
- 14. इस प्रकार आबकारी उपनिरीक्षक सुदीप तोमर आ०सा०५ ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया हैकि उसके द्वारा उक्त अपराधमें जप्तशुदा तरल पदार्थ की जांच की थी एंव जांच के दौरान उसने पाया था कि जप्तशुदा तरल पदार्थ कमशः देशी प्लेन मदिरा,मसाला मदिरा एवं बियर थे। बचाव पक्ष की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः उक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि जप्तशुदा तरल पदार्थ मदिरा थे।
- अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपी उदय सिंह ने जप्तशुदा मदिरा 15. वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपनी आधिपत्य में रखी थी? उक्त संबंध में जप्तीकर्ता गोविंददास प्रजापति आ०सा०६ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक को उसे मुखबिर द्वारा आरोपी के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी एवं सूचना की तस्दीक हेतु वह आरक्षक रामनिवास एवं आरक्षक इरशाद नवीं के साथ चंद्रभान सिंह के पुरा रोड पर पहुंचा था जहां उसे आरोपी उदय सिंह प्लास्टिक की बोरी ले जाते हुए दिखा था पुलिस की गाड़ी को देखकर आरोपी बोरी छोड़कर भागने लगा था आरोपी को पकड़ना चाहा था तो वह शराब की पेटी छोड़कर भाग गया था फिर उसने साक्षी लज्जाराम एवं केशवसिंह के सामने घटना स्थल से शराब जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी 1 बनाया था। उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि तत्पश्चात् वह मय माल आरोपी को थाने लेकर आया था जहां उसे आरोपी के विरुद्ध प्रदर्श पी 6 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की थी। इस प्रकार गोविंददास प्रजापति अ.सा. 6 के उक्त कथन से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्प विरोधाभाषी रहे हैं उक्त साक्षी द्वारा एक तरफ तो यह बताया गया है कि आरोपी उदय सिंह मौके सेशराब की पेटी छोड़कर भाग गया था एवं दूसरी तरफ उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि वह शराब जप्त करने के पश्चात् मय माल आरोपी को थाना लेकर आया था। उक्त साक्षी के इस कथन से यही प्रकट होता है कि आरोपी उदयसिंह को जप्तीकर्ता गोविंददास द्वारा मौके पर ही पकड़ लिया गया था।

इस प्रकार उक्त बिंदु पर जप्तीकर्ता गोविंददास प्रजापित अ.सा. 6 के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाषी रहे हैं। उक्त विरोधाभाष अत्यंत तात्विक है जो सम्पूर्ण अभियोजन कहानी को ही संदेहास्पद बना देता है।

- प्रस्तुत प्रकरण में जप्तीकर्ता गोविंद दास प्रजापति द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह आरोपी उदयसिंह को मय माल थाने लेकर आया था। साक्षी के उक्त कथन से यही प्रकट हो रहा है कि आरोपी उदयसिंह को उसके द्वारा मौके पर पकड़ लिया गया था, परंतु अभियोजन की कहानी के अनुसार आरोपी उदयसिंह मौके से भाग गया था। प्रदर्श पी 6 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी आरोपी के मौके से शराब की पेटी छोड़कर भाग जाने का उल्लेख है, परंतु गोविंददास प्रजापति अ.सा. 6 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया गया है कि वह मय माल आरोपी को थाना लेकर गया था। इस प्रकार उक्त बिंदु पर गोविंददास प्रजापति अ.सा. 6 के कथन प्रदर्श पी 6 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी विरोधाभाषी रहे हैं, इसके अतिरिक्त गोविंददास प्रजापति अ.सा. 6 ने आरोपी से शराब जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी 1 बनाना बताया, परंतु प्रदर्श पी 1 के जप्तीपंचनामें में आरोपी से शराब जप्त होने का उल्लेख नहीं है। प्रदर्श पी 1 के जप्तीपंचनामे में घटना स्थल पर पड़ी होने से जप्त किये जाने का उल्लेख है। यद्यपि प्रदर्श पी 6 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह वर्णित है कि आरोपी मौके पर शराब की पेटी छोड़कर भाग गया था, परंतु इस तथ्य का उल्लेख प्रदर्श पी 1 के जप्तीपंचनामे में नहीं है। यदि वास्तव में आरोपी घटना दिनांक को शराब की पेटी छोड़कर मौके से भाग गया था तो उक्त तथ्य का उल्लेख जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी 1 में आवश्यक रूप से होना चाहिए था एवं मौके पर पंचनामा भी बनाया जाना चाहिए था, परंतु न तो उक्त संबंध में पुलिस द्वारा मौके पर कोई पंचनामा बनाया गया है और न ही उक्त संबंध में प्रदर्श पी 1 के जप्तीपंचनामे में कोई उल्लेख किया गया है। इसके विपरीत गोविंददासप्रजापति अ.सा. 6 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि वह जप्तीपंचनामा बनाने के पश्चात् आरोपी को मय माल थाना वापस लेकर आया था। उक्त साक्षी के उक्त कथन से यही दर्शित होता है कि आरोपी मौके पर मौजूद था एवं मौके से भागा नहीं था, परंतु जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी 1 में आरोपी से शराब जपत किये जाने का उल्लेख नहीं है इस प्रकार उक्त बिंदु पर जप्तीकर्ता गोविंद दास प्रजापित अ.सा 6 के कथन प्रदर्श पी 1 के जप्तीपंचनामे से भी विरोधाभाषी रहे हैं जो सम्पूर्ण जपती की कार्यवाही को ही संदेहास्पद बना देते हैं।
- 17. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी हरगोविंद अ.सा. 7 ने आरोपी उदयसिंह को दिनांक 08/05/13 को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 4 निर्मित करना बताया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि गोविंददास प्रजापित अ.सा. 6 ने अपने कथन में आरोपी को घटना दिनांक 27/03/13 को ही मय माल थाने ले जाना बताया है, परंतु उक्त दिनांक को आरोपी को गिरफ्तार किया जाना दर्शित नहीं है। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।
  - 18. जहां तक साक्षी रामनिवास अ.सा. 3 के कथन का प्रश्न है तो रामनिवास अ.सा. 3 ने

अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना दिनांक ए.एस.आई. प्रजापित के साथ चंद्रभान के पुरा पर गया था तो वहां एक व्यक्ति पुलिस की गाड़ी को देखकर बोरी छोड़कर भागने लगा था बोरी को खोलकर देखा था तो उसमें पचास क्वाटर देशी बीस क्वाटर मसाला एवं पंद्रह बोतल बियर की रखी पायी गयी थीं। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि उसकी टीम ने आरोपी को पकड़ने के संबंध में आबकारी विभाग को कोई सूचना नहीं दी थी। इस प्रकार साक्षी रामनिवास अ.सा. 3 के उक्त कथन से भी यही प्रकट होता है कि आरोपी उदयसिंह को घटना वाले दिन पकड़ लिया था। उक्त साक्षी द्वारा अपने कथन में यह नहीं बताया गया है कि आरोपी उदयसिंह मौके पर शराब छोड़कर भाग गया था ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के कथन भी अपने परीक्षण के दौरान विरोधाभाषी रहे हैं जो सम्पूर्ण अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बना देते हैं।

- 19. जप्तीकर्ता गोविंददास प्रजापित अ.सा. 6 ने अपने कथन में साक्षी लज्जाराम खटीक एवं केशव सिंह के सामने शराब जप्त करना बताया है, परंतु साक्षी केशव सिंह बघेल अ.सा. 1 एवं लज्जाराम अ.सा. 2 द्वारा जप्तीकर्ता गोविंददास प्रजापित अ.सा. 6 के कथन का समर्थन नहीं किया गया है एवं घ ाटना की जानकारी न होना बताया गया है इस प्रकार जप्तीकर्ता गोविंददास प्रजापित अ.सा. 6 के कथन का समर्थन साक्षी केशव सिंह बघेल अ.सा. 1 एवं लज्जाराम अ.सा. 2 द्वारा भी नहीं किया गया है यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।
- 20. जप्तीकर्ता गोविंददास प्रजापित अ.सा. 6 ने घटना दिनांक को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर चंद्रभान के पुरा जाना एवं शराब जप्त करना बताया है परंतु उक्त संबंध में असल रोजनामचा सान्हा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। यद्यपि अभियोजन द्वारा रोजनामचा सान्हा की रवानगी एवं वापसी की नकल प्रकरण में प्रस्तुत की गयी है, परंतु अभियोजन द्वारा असल रोजनामचा बुलाकर विधिवत प्रदर्शित नहीं कराया गया है यह तथ्य भी अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बना देता है।
- 21. इस प्रकार उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से यह दर्शित है कि प्रस्तुत प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों द्वारा जप्ती की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया गया है। जप्तीकर्ता गोविंददास प्रजापित अ.सा. 6 एवं रामिनवास अ.सा 3 के कथन भी अपने परीक्षण के दौरान तात्विक बिंदुओं पर विरोधाभाषी रहे हैं। जप्तीकर्ता गोविंददास प्रजापित अ.सा. 6 के कथन प्रदर्श पी 1 के जप्तीपंचनामे एवं प्रदर्श पी 6 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। जप्ती की कार्यवाही भी संदेहास्पद है। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
- 22. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरूद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करे यदि अभियोजन आरोपी के विरूद्ध मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपी की दोषमुक्ति उचित है।

- प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने मे असफल रहा हैकि 23. आरोपी ने दिनांक 27 / .3 / 14 को लगभग 18:40 बजे ग्राम चंद्रभान का पुरा रोड पर थाना एण्डोरी में पचास क्वाटर प्लेन मदिरा, बीस क्वाटर मसाला मदिरा एवं 15 बोतल बियर कुल 23 लीटर शराब वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखी। फलतः यह न्यायालय आरोपी उदय सिंह को संदेह का लाभ देते हुये उसे म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 के आरोप से दोषमुक्त करती है।
- आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं। 24.
- प्रकरण में जप्तशुदा शराब अपील अवधि पश्चात विधिवत निराकरण हेतु जिला आबकारी 25. अधिकारी की ओर भेजी जावे । अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान:- गोहद,

दिनांक:-03.03.17

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,

खुले न्यायालय में घोषित किया गया

सही / –

(प्रतिष्टा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०) मेरे निर्देशन पर टाईप किया

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०) ALLAND STATE OF STATE